न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/54

आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा देई जिला बून्दी जरिये शाखा प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा देई जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पोखर आत्मज हीरालाल जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भैरू आत्मज हीरा जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रभू आत्मज हीरा जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. शोकरण आत्मज जुवारा जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुररा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बद्री आत्मज जुवारा जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
6. मदन आत्मज जुवारा जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रामफूल आत्मज मोहना जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रामसागर आत्मज मोहना जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. राजेन्द्र आत्मज शोकरण जाति गुर्जर निवासी मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे हाल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देई जिला बून्दी ।
11. उप पंजीयक देई जिला बून्दी ।
12. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री योगेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 21 में कुल 02 किता की रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा खाता संख्या 20 में कुल 14 किता की रकबा 50 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 07 बिस्वा गै0मु0 चाह एवं खाता संख्या 22 में कुल 05 किता की रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम मेंढकपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 18 खसरा नम्बर 208 रकबा 02 बीघा, खाता संख्या 24 में खसरा नम्बर 210 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 16 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर तीनों भाईयों का कब्जा काश्त है परन्तु उक्त भूमि बडे दोनों भाइयों के नाम आवंटित हो गई परन्तु कब्जा तीनों का चला आ रहा है और तीनों अपने–अपने 1/3 – 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त हैं । वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 07 बिस्वा शामलाती रूप से गैर मु0 चाह है । वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हैं जबकि बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रहन, बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त होने वाली भूमि पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.03.2021 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.03.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 09 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट बैंक के यहॉ रहन दर्ज है । ऋणी द्वारा रहन की राशि का भुगतान अदा किये बिना भूमियों का विभाजन नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 ने मिली भगत कर उक्त वाद पेश किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि कोरोना महामारी–2019 के करण अपीलान्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लीगल मेनेजर अपने बैंक कार्य में व्यस्त रहने से अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.11.2020 को हुई । जानकारी प्राप्त होते ही नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 06.01.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील

न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने प्रतिवादीगण के विरूद्व परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय में उक्त प्रकरण साक्ष्य वादी में चल रहा था तथा वादी की ओर से साक्ष्य दिनांक 23.09.2020 को पेश हुई । इसके उपरान्त प्रकरण प्रतिवादीगण की साक्ष्य में रखा जाना चाहिए था परन्तु दिनांक 09.10.2020 को पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार नैनवा को लिखे जाने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित करने से पूर्व ही तहसीलदार नैनवा से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने प्रतिवादीगण के विरूद्व परीक्षण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 के मध्य विभाजन किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.03.2020 के अनुसार प्रतिवादी कम 01 के द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने तथा उनके उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात दिनांक 15.04.2020 को पेश हो, का अंकन किया है । दिनांक 15.04.2020 एवं 24.01.2020 को लॉक डॉउन होने से पत्रावली दिनांक 02.09.2020 को पेश हुई । दिनांक 02.09.2020 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं हुई तथा अभिभाषकगण द्वारा दस्तावेज पेश करने का आवसर चाहा जाने से पत्रावली वास्ते दस्तावेज/तनकीयात दिनांक 23.09.2020 की आगामी तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 23.09.2020 की आदेशिका में दिनांक 11.03.2020 को ही प्रकरण में तनकीयात कायम होना कथन किया है तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 28.09.2020 नियत की गई । दिनांक 28.09.2020 की आदेशिका में पक्षकारान द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा जाने पर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक

07.10.2020 नियत की गई । दिनांक 07.10.2020 के पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.10.2020 नियत की गई । दिनांक 09.10.2020 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार नैनवा को लिखे जाने तथा पत्रावली दिनांक 16.12.2020 को पेश होने का अंकन किया है । दिनांक 16.12.2020 के बाद पत्रावली दिनांक 23.03.2021 में नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 की दो आदेशिका लिखते हुए दिनांक 09.10.2020 को ही निर्णय पारित करना अंकित किया है ।

11. परीक्षण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से साबित है कि परीक्षण न्यायालय में प्रकरण वास्ते बहस में लम्बित था उसके उपरान्त सीधे ही तहसीलदार नैनवा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये हैं । तत्पश्चात् आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.03.2021 को परीक्षण न्यायालय द्वारा 09.10.2020 को ही निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित होना अंकन किया है । इसी प्रकार दिनांक 11.03.2020 की आदेशिका में कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 15.04.2020 तारीख पेशी नियत की गई तत्पश्चात् दिनांक 23.09.2020 की आदेशिका में दिनांक 11.03.2020 को ही तनकीयात कायम होना अंकन किया है । इससे प्रतीत होता है कि विधिक प्रक्रिया का समुचित पालन नहीं किया गया है ।

12. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 09 अपीलान्ट ने जवाबदावा पेश किया है । जवाबदावे में कथन किया है कि आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई ने प्रतिवादीगण प्रभू, रामफूल एवं रामसागर को उनके हिस्से व उनके खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण दे रखा है इस कारण आईसीआईसीआई बैंक के रहन चली रही भूमि पर प्रथम प्रभार ऋण के सम्पूर्ण चुकारे तक आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई का है जिसका ऋण चुकता हुए बिना वादीगण को विभाजन एवं अधिकार घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम की गई है जिसमें तनकी नम्बर 03 बैंक ऋण के चुकता करने के बाबत् कायम की गई है परन्तु परीक्षण न्यायालय ने निर्णय बिना तनकीवार पारित किया है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषिति किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.10.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.06.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा